साइबर क्राइम थाना, आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़

Mob. 7839876629, Email- so-cyberps.az@up.gov.in

⁕प्रेस नोट दिनांकः 11.09.2022⁕

सेवानिर्वित्त पुलिस कर्मी के बैंक खाते से 55 लाख रूपये निकालने वाले गैंग का मुख्य साइबर अपराधी जामताडा झारखण्ड से गिरफ्तार

दिनांक 19-05-2021 को वादिनी श्रीमती मंजू वर्मा निवासी हरनाटार सिकन्दरपुर बलिया ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पति श्री भुवनेष वर्मा जो पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी के पद से सेवानिर्वित्त हुए हैं. उनके बैंक खाते में आये फंड के पैसे लगभग 55लाख रुपये किसी साइबर अपराधी ने पेंशन चालू करने के नाम पर ऐनीडेस्क ऐप्स डाउनलोड कराकर निकाल लिए हैं। जिसकी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 14/2021 धारा 419,420 भादवि व 66 सी आई0टी0एक्ट पंजीकृत किया गया।उक्त अपराध के सफल अनवारण एंव अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रो त्रिवेणी सिंह, पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ, श्री अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एंव नोडल अधिकरी श्री सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त अभियोग की विवेचना से कुल 08 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया. जिसमे 04 अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चूका है . प्रकाश में आये गैंग का वांछित मुख्य अभियुक्त सोनू मण्डल पुत्र नन्दु उर्फ नन्दलाल मण्डल ग्राम नरायनपुर थाना नरायनपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड जो कई दिनों से फरार चल रहा था.

वांछित मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से झारखण्ड राज्य जाने हेतु परमीशन प्राप्त कर साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ टीम को रवाना किया गया था. कल दिनांक 10.09.2022 को प्रकाश में आये गैंग का वांछित मुख्य अभियुक्त सोनू मण्डल पुत्र नन्दु उर्फ नन्दलाल मण्डल ग्राम नरायनपुर थाना नरायनपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड को उसके ओम साई होटल जामताडा से गिरफ्तार किया गया. तत्पश्चात आरोपी को मु14 0स0अ0/419 धारा 21/420/467/468/471/120B भा 66 वि तथा0द0C आईटी एक्ट में ट्रांजिट रिमांड लेकर मा0 न्यायलय सी.जी.ऍम. आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है.

पूछ-ताछ का विवरण:-

अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त सोनू उर्फ़ राजू मण्डल अपने साथी राम किशुन मण्डल, दिनेश मण्डल व् धीरज पाण्डेय के साथ मिलकर सेवानिर्वित्त हुए कर्मचारियों का डेटा सरकारी वेबसाइट से प्राप्त कर ट्रेजरी अधिकारी बनकर कॉल करते है. तत्पश्चात उनकी पेंशन बंद होने या पेंशन में इन्क्रीमेंट लगाने के नाम पर कॉल करके रिमोट सपोर्ट ऐप्स (Anydesk , Team Viewer) डाउनलोड कराकर उसके माध्यम से उनके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या ई वॉलेट को एक्सेस कर उनके बैंक खाते से सारा पैसा विभिन्न फर्जी खातो में ट्रान्सफर करके आपस में बाट लेते है. अभियुक्त सोनू मण्डल ने साइबर ठगी से ही जामताडा शहर में ओम साई होटल खोला है. अभियुक्त राम किशुन मण्डल निवासी कर्मातांड जामताडा पूर्व में 04 बार साइबर अपराध में जेल जा चूका है वर्त्तमान समय में रोहतास हरियाणा जेल में बंद है व् दिनेश मण्डल निवासी कर्मातांड जामताडा वर्त्तमान समय में जामताडा जेल में बंद है. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट बी तामिला की कार्यवाही की जा रही है.

अभियुक्त का विवरण

सोनू मण्डल पुत्र नन्दु उर्फ नन्दलाल मण्डल ग्राम नरायनपुर थाना नरायनपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड

अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 14/419 धारा 21/420/467/468/471/120B भा 66 वि तथा0द0C साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

गिरफ्तारी टीम

1- प्रभारी निरीक्षक श्री विमल प्रकाश राय 2- उ०नि प्रमोद यादव 3- का० मनीष सिंह 5- का0 सभाजीत मौर्या

6- का० संजय कुमार 7- महिपाल यादव - साइबर क्राइम थाना आजमगढ़